न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान बृजलाल बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या 53 / 2025
निर्णय दिनांक ....14/07/2025.....

बृजलाल पुत्र कुशाला राम जाति जाट निवासी सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

उपस्थिति:–

1. श्री साजिद खान (वकील वादी)
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 258 के खसरा सं. 821 / 160 तादादी 2.4026 हैक्ट., ख.नं. 846 / 147 तादादी 1.9094 हैक्ट, ख.नं. 848 / 819 तादादी 1.3024 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम विजयसिंह उर्फ बृजलाल पुत्र कुशालाराम अंकित है। वादी का कथन है कि वादी का वास्तविक नाम बृजलाल है के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में भूलवश विजयसिंह उर्फ बृजलाल अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि विजयसिंह उर्फ बृजलाल के स्थान पर बृजलाल दर्ज होना चाहिए। इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर सही अंन करवाया जाना आवश्यक है। उक्त खातेदारी के अलावा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम बृजलाल अंकित है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान व भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 258 के खसरा सं. 821 / 160 तादादी 2.4026 हैक्ट., ख.नं. 846 / 147 तादादी 1.9094 हैक्ट, ख.नं. 848 / 819 तादादी 1.3024 हैक्ट. में वादीका नाम बृजलाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम विजयसिंह व बृजलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड से वादी का नाम बृजलाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम विजयसिंह उर्फ बृजलाल अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 258 के खसरा सं. 821 / 160 तादादी 2.4026 हैक्ट., ख.नं. 846 / 147 तादादी 1.9094 हैक्ट, ख.नं. 848 / 819 तादादी 1.3024 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम विजयसिंह उर्फ बृजलाल Delete कर इसके स्थान पर बृजलाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...14/07/2025....... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)